कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर खण्ड उदयपुर

सूरजपोल, उदयपुर E-Mail Id:- ac.udaipur.dev@rajasthan.gov.in Tel. No- 0294-2420546

क्रमांक :– एफ2(2)लेखा / देव / उदय / 2024–25 / 3991 दिनांक :– 4/11/25

निविदा सूचना संख्या 05 / 2025–26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अधीन सहायक आयुक्त कार्यालय उदयपुर के नियंत्रणाधीन राजकीय मंदिरों / संस्था की जिला उदयपुर,सलुम्बर एवं राजसमंद मे स्थित 8 सम्पदाओं (आवासीय / व्यवसायिक) को सीलबंद लिफाफे में खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा 10 वर्ष हेतु किराये पर देने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु इच्छुक बोलीदाता निविदा की समस्त शर्तों के साथ सीलबंद लिफाफे में अपनी बोली सम्बन्धित सम्पदा के समक्ष अंकित तिथि व समय तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् उस सम्पदा से सम्बन्धित बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा। सीलबंद लिफाफे पर जिस सम्पदा हेतु बोली प्रस्तुत की जा रही हैं उसका नाम एवं सम्पदा संख्या लिखना अनिवार्य होगा एवं निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता द्वारा सम्पदाओ का विवरण एवं निविदा की शर्ते www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट https://devasthan.rajasthan.gov.in पर देखी / डाउनलोड की जा सकती हैं एवं कार्यालय समय मे भी नियम व शर्ते देखी जा सकती हैं तथा निविदा प्रपत्र इस कार्यालय मे 500/–नकद जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं। किराये पर दी जाने वाली सम्पदाओं का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र सं.	नाम मंदिर / संस्था	जिला	आवासीय / व्यवसायिक	न्यूनतम सरकारी बोली प्रतिमाह किराया (रूपयों में)	अमानत / धरोहर राशि (रूपयों में)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार संस्था होटल देवदर्शन सूरजपोल उदयपुर।	उदयपुर	व्यवसायिक दुकान सं.–29	11020/-	2650/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
2.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार संस्था होटल देवदर्शन सूरजपोल उदयपुर।	उदयपुर	व्यवसायिक दुकान सं.–31	6410/-	1540/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
3	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री जगत शिरोमणी जी सीटी पेलेस रोड उदयपुर	उदयपुर	व्यवसायिक दुकान सं.–03	53450/-	12828/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
4	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री तेजानन्द बिहारी जी सलूम्बर जिला सलुम्बर।	सलूम्बर	आवासीय दुकान सं.03	2210/-	530/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
5	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री तेजानन्द बिहारी जी सलूम्बर जिला सलुम्बर।	सलूम्बर	आवासीय दुकान सं.04	2210/-	530/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 15:41:29 IST
Reason: Approved

6	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री तेजानन्द बिहारी जी सलूम्बर जिला सलुम्बर।	सलूम्बर	आवासीय (हॉल) दुकान सं.05	9580/-	2300/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
7	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री गोपेश्वर महादेव जी ग्राम केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।	राजसमंद	व्यवसायिक दुकान सं.–1	2780/-	670/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
8	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री गोपेश्वर महादेव जी ग्राम केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।	राजसमंद	व्यवसायिक दुकान सं.–2	2780/-	670/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Ja[illegible]n Kumar Gandhi
Designation : [illegible]nt Commissioner
Date: 2025.11.04 1[illegible]:41:29 IST
Reason: Approved

Devasthan/sampada/tender property Shop Nilami 07-11-2024 **RajKaj Ref No.: 18650831**

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर खण्ड उदयपुर

सूरजपोल, उदयपुर E-Mail Id:- ac.udaipur.dev@rajasthan.gov.in Tel. No- 0294-2420546

क्रमांक :- एफ2(2)लेखा/देव/उदय/2024-25/3999 दिनांक :- 4/11/25

निविदा सूचना संख्या 05/2025-26

देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अधीन सहायक आयुक्त कार्यालय उदयपुर के नियंत्रणाधीन राजकीय मंदिरों की जिला उदयपुर,सलुम्बर एवं राजसमंद मे स्थित निम्नानुसार 8 सम्पदाओं (आवासीय/व्यवसायिक) को सीलबंद लिफाफे में खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा 10 वर्ष के लिये किराये पर दिया जाना हैं। इस हेतु दिनांक 24.11.2025 निर्धारित समय तक निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदादाता द्वारा सम्पदाओ का विवरण एवं निविदा की शर्ते www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट https://devasthan.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती हैं तथा निविदा प्रपत्र इस कार्यालय मे 500/- नकद जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्र सं.	नाम मंदिर/संस्था	जिला	आवासीय/ व्यवसायिक	न्यूनतम सरकारी बोली प्रतिमाह किराया (रूपयों में)	अमानत/ धरोहर राशि (रूपयों में)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार संस्था होटल देवदर्शन सूरजपोल उदयपुर।	उदयपुर	व्यवसायिक दुकान सं.-29	11020/-	2650/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
2.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार संस्था होटल देवदर्शन सूरजपोल उदयपुर।	उदयपुर	व्यवसायिक दुकान सं.-31	6410/-	1540/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
3	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री जगत शिरोमणी जी सीटी पेलेस रोड उदयपुर	उदयपुर	व्यवसायिक दुकान सं.-03	53450/-	12828/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
4	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री तेजानन्द बिहारी जी सलूम्बर जिला सलुम्बर।	सलूम्बर	आवासीय दुकान सं.03	2210/-	530/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
5	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री तेजानन्द बिहारी जी सलूम्बर जिला सलुम्बर।	सलूम्बर	आवासीय दुकान सं.04	2210/-	530/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
6	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री तेजानन्द बिहारी जी सलूम्बर जिला सलुम्बर।	सलूम्बर	आवासीय (हॉल) दुकान सं.05	9580/-	2300/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से
7	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री गोपेश्वर महादेव जी ग्राम केलवाडा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।	राजसमंद	व्यवसायिक दुकान सं.-1	2780/-	670/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से

Signature valid

Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 15:41:29 IST
Reason: Approved

Devasthan/sampada/tender property Shop Nilami 07-11-2024 **RajKaj Ref No.: 18650831**

8	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री गोपेश्वर महादेव जी ग्राम केलवाड़ा तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द।	राजसमंद	व्यवसायिक दुकान सं.–2	2780/-	670/-	24.11.2025 प्रातः 11.30 बजे तक	24.11.2025 दोपहर 12:30 बजे से

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जोधपुर

क्रमांक :– एफ2(2)लेखा / देव / उदय / 2024–25 / 4000 – 4024 दिनांक :– 4/11/25

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्रीमान् आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर।
4. श्रीमान शासन उप सचिव, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. श्रीमान जिला कलक्टर, उदयपुर / सलुम्बर / राजसमंद को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त निलामी प्रक्रिया मे आपके प्रतिनिधि (राजपत्रित अधिकारी) को मनोनित कर नियत दिनांक को भिजवाने का श्रम करावें एवं उक्त प्रति सूचना पट्ट पर चस्पा करवाने का श्रम करावें।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार अनुमोदित दरो पर दो प्रमुख राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में न्यूनतम स्पेस में शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
7. श्रीमान् कोषाधिकारी, उदयपुर / सलुम्बर / राजसमंद।
8. श्रीमान सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
9. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर को आयुक्त महोदय के पत्र कमांक 1747 दिनांक 13.07.2022 के कम में निविदा प्रकिया में उपस्थित होने बावत् प्रेषित है।
10. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग भरतपुर / हनुमानगढ़ / बीकानेर / जयपुर (प्रथम) / जोधपुर / वृन्दावन / ऋषभदेव / कोटा / अजमेर / जयपुर (द्वितीय) को अपने कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर / राजसमंद / सलूम्बर।
12. सहायक अभियंता मुख्यालय, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
13. प्रवंधक, मांजी की सराय / होटल देवदर्शन उदयपुर / सरायफतह मेमोरियल।
14. मुन्तजिम, देवस्थान विभाग, चारभुजा जी गढवोर जिला राजसमंद।
15. निरीक्षक / प्रवंधक–II कार्यालय हाजा।
16. नोटिस वोर्ड मुख्यालय / कार्यालय हाजा / होटल देवदर्शन / मांजी की सराय / सराय फतह मेमोरिय सम्बन्धित संपदा पर चस्पा करने हेतु।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 16:41:29 IST
Reason: Approved

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अधीन सहायक आयुक्त कार्यालय देवस्थान विभाग उदयपुर के नियंत्रणाधीन राजकीय मंदिरों की जिला उदयपुर, सलुम्बर एवं राजसमंद में स्थित 8 सम्पदाओं (व्यावसायिक/आवासीय) को निविदा (संख्या 05/2025–26) प्रक्रिया द्वारा 10 वर्ष हेतु किराये पर देने की निर्धारित शर्ते :–

1. भारतीय नागरिक ही निविदा में भाग ले सकेगा।
2. अंतिम उच्चतम निविदादाता को अपनी नागरिकता की साक्ष्य में स्थाई पता अंकित करना होगा जिसके लिये परिचय पत्र (एड्रेस प्रूफ), अनुज्ञा पत्र, पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो आदि दस्तावेज की छाया प्रति उपलब्ध कराने पर ही निविदा हेतु मान्य होगा। यदि कोई साझा अथवा फर्म के नाम से निविदा लगाते हैं तो निविदा के साथ पंजीकृत साझा पत्र व फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
3. निविदादाता को निविदा के समय अन्य विभागीय सूचना के साथ–साथ आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं./आधार नं., मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. देना होगा। निविदा छूटने पर स्वीकृत किरायेदार को अपना बैंक अकाउन्ट नम्बर, ब्रांच और आई.एफ.एस.सी. कोड तथा पैन नम्बर भी देना आवश्यक होगा। किसी भी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी/बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी।
4. संपदा को किराये पर देने की लीज अवधि न्यूनतम 10 वर्ष होगी। इससे अधिक अवधि से संपादित करने हेतु अनुमति बाबत विभागीय किराया नीति 2021 के अनुसार लीज अवधि वृद्धि की कार्यवाही की जायेगी।
5. निविदादाता द्वारा एक से अधिक संपदा को किराये पर लेने के लिए उसे प्रत्येक संपदा की विवरण अनुसार अलग–अलग निविदा शुल्क व धरोहर राशि (**जो कि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के पक्ष मे देय हो**) जमा कराकर निविदा प्रस्तुत करनी होगी एवं निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर भरने पर उस बोलीदाता को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के पक्ष मे 500/– का डिमांड ड्रॉफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

Signature valid

Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 15:41:29 IST
Reason: Approved

6. निविदा से पूर्व नियमानुसार अनुमोदित राशि की निर्धारित धरोहर राशि वसूल की जायेगी। निविदा में एच–2 के रूप में असफल निविदादाता की धरोहर राशि सफल निविदादाता के द्वारा निर्धारित राशि जमा कराने की अंतिम तिथि अथवा निविदा तिथि, जो भी न्यूनतम हो, से एक माह तक विभाग के पास सुरक्षित रहेगी। तदुपरान्त उसे राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। निविदा छूटने पर सफल निविदादाता को वार्षिक देय राशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा कराना होगा जो विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में ब्याज रहित जमा रहेगा जिसे किराया पेटे समायोजन नहीं किया जायेगा किन्तु व्यतिक्रमी होने पर उक्त राशि को किराये के विरूद्ध समायोजित किया जा सकेगा।
7. किरायेदार मासिक किराया राशि जरिये रसीद/बैंक खाता/चैक/ड्राफ्ट/ऑनलाईन संबंधित विभाग के सहायक आयुक्त उदयपुर के यहां जमा करा सकेगा।
8. प्रत्येक किरायेदार को विभागीय सम्पत्ति पर सहज दृश्य रूप में विभागीय फॉरमेट, कलर कोड व साईज के अनुसार देवस्थान विभाग की सम्पदा का नाम व विवरण लिखना आवश्यक होगा।
9. विभागीय सम्पत्तियां जिस प्रयोजन के लिये दी गई है, उसका उसी प्रयोजन के अनुरूप उपयोग किया जाएगा। प्रयोजन परिवर्तन पूर्णतः निषिद्ध होगा तथा उनका नियमन नही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किरायेदार को परिवर्तन व संपरिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। आवंटित मूल किरायेदार द्वारा सम्पदा को उपकिरायेदारी/ सहकिरायेदारी /साझेदारी पर देना निषेध रहेगा यदि ऐसा पाया जावे तो आवंटी एवं उपकिरायेदार/सहकिरायेदार/साझेदार की बेदखली करते हुये दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी एवं समस्त प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी।
10. स्वीकृत सफल किरायेदार मन्दिर मर्यादा के अनुरूप ही व्यवसाय करेगा। मंदिर मर्यादा विरूद्ध कोई व्यवसाय या कार्यकलाप नहीं करेगा तथा मांस–मदिरा विक्रय, जुआ, सट्टा व विधि के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियां संचालित नही करेगा एवं न ही उसमें संलिप्त होगा। कोई भी व्यवसाय चालू करने से पूर्व विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
11. किरायेदार को किसी भी रूप में सम्पत्ति को रहन करने या हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

Signature valid
Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 16:41:29 IST
Reason: Approved

12. प्रत्येक दुकानदार को अपने दुकान के साईनबोर्ड पर देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित फोरमेट, कलर कोड एवं साईज के अनुसार देवस्थान विभाग की सम्पदा का नाम व विवरण लिखना आवश्यक होगा। साईनबोर्ड पर दुकान के विधिक प्रोपराईटर का नाम आवश्यक रूप से लिखना होगा।

13. दुकान के भीतर उसे व्यवसाय से संबंधित अपने वैध लाईसेन्स या पंजीयन प्रमाण–पत्र को प्रदर्शित करना होगा।

14. सम्पदा की निविदा लगाने वाले निविदादाता को निविदा लगाने से पूर्व सम्पत्ति विशेष के लिए निर्धारित धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होगा तथा निविदा समाप्ति पर उच्चतम निविदादाता की धरोहर राशि खुली निविदा छूटने पर सफल निविदादाता को वार्षिक देय राशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा कराना होगा जो विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में ब्याज रहित जमा रहेगी । अन्य असफल निविदादाताओं में से द्वितीय उच्चतम निविदादाता की धरोहर राशि को उपरोक्तानुसार रोकते हुए शेष असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

15. अधिकतम निविदादाता द्वारा निविदा समाप्ति पर उसी समय वार्षिक देय राशि का 50 प्रतिशत किराया जमा कराना होगा अन्यथा उसके द्वारा जमा कराई धरोहर राशि जब्त कर उससे निम्नतर निविदादाता के नाम प्रस्ताव बनाकर आयुक्त/शासन को प्रेषित किया जावेगा अथवा सक्षम स्तर से निविदा निरस्त करने की स्थिति में धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।

16. सम्पदा जैसी स्थिति में है, वैसी स्थिति में दी जावेगी। विभाग किसी भी प्रकार का मरम्मत/परिवर्तन आदि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। सम्पदा में किरायेदार किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की बिना अनुमति के नहीं करायेगा। इच्छुक निविदादाता द्वारा संपदाओ का भौतिक निरीक्षण कार्यालय समय में किया जा सकता है।

17. अधिकतम निविदादाता के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार/देवस्थान आयुक्त मुख्यालय को प्रेषित किये जावेंगे। राज्य सरकार/मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने तक निविदादाता को सम्पदा का कब्जा प्राप्त करने के लिए इन्तजार करना होगा। उसके इन्तजार नहीं करने की स्थिति में

Signature valid
Digitally signed by Jai... Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.0... ...:41:29 IST
Reason: Approved

या सम्पदा की जरूरत नहीं होने के कारण यदि निविदादाता सम्पदा किराये पर नहीं लेना चाहे तो उसके आवेदन पश्चात निविदादाता द्वारा जमा कराया गया 50 प्रतिशत किराया मय धरोहर राशि जब्त कर लिया जायेगा जिसमें उच्चतम निविदादाता किसी भी प्रकार का उज्र, ऐतराज व आपत्ती नहीं कर सकेगा।

18. सम्पदा किराये पर देने की राज्य सरकार की स्वीकृति की सूचना निविदादाता को मिलने के पश्चात् 15 दिन के अंदर उसे किरायानामा/अनुबंध पत्र निष्पादित कर सम्पदा का कब्जा आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा जिसको अधिकतम एक माह में पंजीकृत किरायानामा/अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करने पर उसका अधिकतम निविदादाता के रूप में हक समाप्त हो जावेगा व उसकी समस्त जमा राशि मय धरोहर राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी तथा विभाग उसकी निविदा समाप्ति बाबत् नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा अथवा सम्पदा का उपयोग अन्य विकल्प के रूप में कर सकेगा। इसमें निविदादाता कोई उज, ऐतराज व आपत्ती नहीं कर सकेगा। किरायानामा/अनुबंध पत्र लिखने पर ही सम्पदा का कब्जा दिया जायेगा। किरायानामा/अनुबंध पत्र उसे स्वयं के खर्चे से ही पंजीयन कराना होगा तथा 10 वर्ष पश्चात् पुनः नवीनीकरण एक माह में करवाना होगा अन्यथा विभाग के किरायेदार के रूप में उसका अधिकार समाप्त हो जायेगा।

19. अधिकतम निविदा को स्वीकृत करने अथवा नहीं करने का अधिकार राज्य सरकार एवं आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को होगा। प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में निविदादाता का 50 प्रतिशत किराया सुरक्षित राशि के रूप में जमा है, लौटा दिया जावेगा, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।

20. सम्पदा का साधारण रंग–रोशन सफेदी एवं मरम्मत आदि विभाग की स्वीकृति पर किरायेदार स्वयं के व्यय पर कर सकेगा।

21. सम्पदा में किसी अन्य व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप किरायेदार नहीं रखेगा। यदि किरायेदार ने शर्तों की अवहेलना की तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग की ओर से अमल लाई जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 16:41:29 IST
Reason: Approved

22. किरायेदार को प्रतिमाह अग्रिम किराया नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से मंदिर/संस्था के प्रबंधक व निरीक्षक के पास अथवा सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर कार्यालय में नकद अथवा चैक द्वारा जमा कराना होगा। समय पर किराया जमा न कराने की स्थिति व शर्तो का उल्लघंन करने पर किरायेदार को संपदा से बेदखली करने की कार्यवाही देवस्थान विभाग कर सकेगा।

23. विभाग की उक्त अधिकतम बोलीदाता को आवंटित सम्पदा के आसपास स्थित विभाग की अन्य सम्पदा को किरायेदार किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायेगा तथा सम्पदा को सुरक्षित रखेगा ।

24. राज्य सरकार द्वारा अथवा देवस्थान विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नवीन किराया नीति एवं समय–समय पर जारी अन्य राजकीय नियमो, उपाबन्धों व प्रावधानो की पालना हेतु निविदादाता बाध्य रहेगा।

25. राज्य सरकार एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में अन्य कोई शर्ते शामिल की जावेगी तो उनसे भी संबंधित किरायेदार अनुबंधित (बाध्य) रहेगा।

26. निविदा के समय अन्य कोई शर्त जोड़ने एवं घटाने का अधिकार निविदा कमेटी को होगा।

27. देवस्थान विभाग की नवीन किराया नीति 2021 के अनुसार किरायेदार को प्रति वर्ष बाद मूल किराये की राशि में 5 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी तथा नवीन किराये के अनुसार पुनः किरायानामा/अनुबंध पत्र लिखना होगा।

28. किराये की सम्पदा पर प्रचलित एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा गृहकर, नगरपालिका, नगरविकास, न्यास,ग्राम पंचायत या अन्य कोई कर लगाया जाता है तो किरायेदार को किराये के अतिरिक्त उसका भुगतान भी करना होगा।

29. किरायेदार द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा एवं संपदा रिक्त किये जाने पर सम्बन्धित विभाग से नोड्यूज का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

Signature valid

Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 16:41:29 IST
Reason: Approved

30. अधिकतम निविदादाता के नाम सम्पदा/दुकान किराये पर देने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त होने पर जरिये पत्र उनको सूचित किया जावेगा कि वह आकर दुकान का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। यदि उक्त पत्र अधिकतम निविदादाता द्वारा नहीं लिया जावेगा तो पत्र में वर्णित अवधि में दुकान/सम्पदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि वह दुकान/सम्पदा किराये पर नहीं लेना चाहता हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गई राशि का 50 प्रतिशत किराया अग्रिम राशि जब्त करके नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

31. उच्चतम अधिकतम निविदादाता को निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर अपनी स्थायी/अस्थायी सम्पतियों का हैसियत प्रमाण–पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

32. सम्पदा नोन कंसट्रक्शन एरिया में होने की स्थिति में सम्पदा परिवर्तन हेतु विभाग की अनुमति के पश्चात् भी अगर स्थानीय नगरीय निकाय यथा ग्राम पंचायत/नगर पालिका / नगर परिषद/राज्य सरकार द्वारा एतराज किया गया तो उसके लिए निविदादाता/किरायेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

33. पुरातत्व संरक्षित मंदिर/संस्था की सम्पदा होने की स्थिति में पुरातत्व संरक्षण नियमों की अनुपालना करनी होगी। ध्वनि, वायु, जलीय, रसायनिक प्रदूषण फैलाने वाला कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा।

34. किसी भी प्रकार की अनियमितता, विभागीय/मंदिर हितार्थ/जनहितार्थ/आवश्यकता होने पर एक माह की अग्रिम सूचना पर सम्पदा खाली करनी होगी अन्यथा राजस्थान सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1964 के प्रावधानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी जिसके समस्त हर्जे–खर्चे के लिये किरायेदार/काबिजदार बाध्य होगा।

35. किरायेनामे की किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी किरायेदारी स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 15:41:29 IST
Reason: Approved

36. भवन के किसी भी विरूपण अथवा क्षति कारित किये जाने अथवा बिना अनुमति के परिवर्तन किए जाने अथवा शर्तो के उल्लंघन किए जाने पर किराएदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार नियमानुसार दण्डात्मक एवं बेदखली कार्यवाही का भागी होगा।

37. उपरोक्त अंकित शर्तों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास/अस्पष्टता होने पर विभागीय नवीन किराया नीति 2021 मान्य होगी।

38. देवस्थान विभाग में कोई बकायात होने की स्थिति में/अतिक्रमी होने की स्थिति में/विभाग द्वारा दोषी करार पाये जाने की स्थिति में निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा तथा विवाद होने पर सक्षम स्तर द्वारा जारी निर्देशों की पालना आवश्यक है।

39. निविदा संबंधी समस्त स्वत्वाधिकार विभागीय अधिकारियों में निहित होंगें।

40. निविदादाता द्वारा निविदा शर्तो की समस्त औपचारिकताओं की पालना करना अनिवार्य होगा।

41. उक्त निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 सा.वि.एवं लेखा नियम तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/दिशा निर्देशो के अधीन रहेगी तथा निविदादाताओं को इनकी सभी शर्तों को मानना बाध्यकारी होगा।

42. निविदा किसी भी कारण किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी।

43. किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक क्षेत्र जिला उदयपुर होगा जिसे मानना निविदादाता को बाध्यकारी होगा।

निविदादाता हस्ताक्षर

(जतीन कुमार गॉधी)
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 15:41:29 IST
Reason: Approved

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
प्रपत्र–अ

सूची में अंकित सम्पदा की क्र. सं.	नाम मंदिर	सम्पदा का विवरण	बोलीदाता द्वारा बोली में प्रस्तावित मासिक दर (Exclussive All Taxes)
			अंको में.. शब्दों में.. ....

1. बोलीदाता का नाम :– ....
2. पिता का नाम ....
3. पूर्ण पता ....
....
4. मोबाईल नं. ....
5. आधार कार्ड/जन आधार कार्ड नं. ....
6. पैन कार्ड नं. ....ई–मेल आई.डी ....

नोटः–

1. बोलीदाता द्वारा बोली में दरें दस के गुणांक में ही प्रस्तुत करनी होगी।
2. इस प्रपत्र में निविदा सूचना में वर्णित अनुसार ही विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा एवं आधार कार्ड/जन आधार कार्ड की फोटोप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी। अन्यथा बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर/फर्म की स्थिति मे मय सील

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Jatesh Kumar Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 16:41:29 IST
Reason: Approved